के लिए देश के कानून में लेखकों के लिए समुचित सुरक्षा उपायों का प्रावधान है ।

कुंवारी मातायें

3386. श्री अनंतराव देवसांकर दवे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर वर्ष राज्य-वार कितनी अभागी कुंवारी मातायें बच्चों को जन्म देती हैं ;

(ख) कुंवारी माताओं और बच्चों को आर्थिक सहायता, सामाजिक दर्जा और उनके निभाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) अनाथालयों में रह रही कुंवारी माताओं और बच्चों को सामाजिक दर्जा दिलाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(घ) ऐसी लड़कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो यौन उत्पीडन के बाद बच्चों को जन्म देती और क्या ऐसे बच्चों के विवाह के लिए सरकार के पास कोई योजना है और क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए किसी संस्था को स्थापना की है ;

(ङ) यदि हां, तो देश में ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके क्या-क्या नाम हैं और क्या प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्रों आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता को ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं । इस संबंध में कोई सांख्यिकीय

(ख) और (ग) अविवाहित माताओं और उनके बच्चों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है । परन्तु सरकार निर्धन परिवारों और महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु नोराड, स्वेप, आई.आर.डी.पी.डी.डब्ल्यू. सी. आर.ए., एस.ई.पी., सी.सी.ई. और वी.टी. तथा जागृति विकास कार्यक्रमों जैसे कई कल्याण और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है समाज में महिलाओं और बच्चों की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा उनके प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन लाने के लिये प्रचार माध्यमों से प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) यौन उत्पीड़न के बाद बच्चों को जन्म देने वाली लड़कियों की संख्या से संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के पास ऐसे बच्चों और उनके विवाह आदि के लिए न तो कोई योजना है और न ही कोई संस्थान हैं। परन्तु सरकार ने 1993–94 के दौरान देश के अधिकतम आबादी वाले 11 शहरों में गलियों में घूमने वाले आवारा बच्चों के कल्याणार्थ एक योजना शुरू की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

Project report submitted by Karnataka

3387. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Karnataka has submitted a revised project report to the Centre for training and employment programmes for rural women in handloom activities; and

(b) if so, the status of the project report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) Yes, Sir. The